संख्या–4611/9–आ–1–01–01 वि/2000

प्रेषक,

टी0पी0 पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश शासन।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 11 सितम्बर, 2001

विषय : वितथ समाधान योजना– एक बार समाधान (ओ0टी0एस0) का लाभ आवासीय–सह–व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय में निर्गत शासनादेश संख्या–3228/9–आ–1–01–01 वि/2000, दिनांक 26.6.2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ0टी0एस0योजना का लाभ आवासीय–सह–व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों को भी प्रदान किया जाय।

2. आवासीय–सह–व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों को ओ0टी0एस0 योजना का लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा एवं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 03 (तीन) माह तक अनुमन्य रहेगा।

3. शासनादेश संख्या–3228/9–आ–1–01, दिनांक 26.6.2001 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

संख्या–461/(1) 9–आ–1–01, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री, आवास, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उ0प्र0 आवास बन्धु।

आज्ञा से,

अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव